न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/134/2021 रजू दिनांकः 01.09.2021 रजि0 न0 2021/263

अपीलार्थीः—

श्री भागीरथ यादव पुत्र शुभराम यादव, निवासी ग्राम—पोस्ट कारोड़ा तहसील बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 27.09.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.09.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1788 दिनांक 22.09.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि संबंधित प्रभारी अधिकारी (सतर्कता) कलक्ट्रेट, अलवर के पत्र सतर्कता/सूकाअ—49/2021/4348 दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से प्राप्त सूचना कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./विविध/2021/1521 दिनांक 11.08.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसके अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, अलवर को लिखा गया है, अग्रिम कार्यवाही बाबत उक्तांकित कार्यालय से संपर्क स्थापित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराई जाना अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर